

DHARAMVEER AWANA
Municipal Councillor
South Delhi Municipal Corporation

R&D CELL
 VIKAS SADAN
 Dy. No. 2345
 Date 4/5/12

1342-2
 4/5/12
 No.
 Dated :
 दिनांक : 04.05.2012

आदरणीय श्री कमलनाथ जी,

मैं आपका ध्यान दिल्ली के सभी गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण निम्नलिखित समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ।

गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में, वहां के निवासी निजी जमीन पर जो अपने मकान बनाते हैं, तो वह निर्माण अवैध माना जाता है। दूसरी तरफ, गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में निजी जमीन पर मकान बनाने हेतु नक्शा पास कराने के लिए जो आवश्यक कागजी कार्रवाई करनी होती है वह संभव नहीं है, क्योंकि गांव जिस जमीन पर बसे हुए हैं वह जमीन शामलात देह की है। अर्थात् वह जमीन किसी एक व्यक्ति की मल्कियत नहीं है और अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों ने भी पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर जमीन खरीदकर मकान बनाये हैं।

उपरोक्त मामले में, मेरा आपसे अनुरोध यह है कि दिल्ली के गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में निजी जमीन पर मकान बनाने के लिए दिल्ली के बिल्डिंग बोर्ड/लॉज के मुताबिक अनुमति मिलनी चाहिए।

चूंकि मकान का नक्शा पास कराने के लिए आवश्यक कागजात आवेदक द्वारा संबंधित विभाग को उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, इसलिए इन गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में मकान बनाने के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित रजिस्टर्ड आर्किटेक्टों द्वारा पास किए गए नक्शों को बिल्डिंग बोर्ड/लॉज के अनुसार पर्याप्त माना जाना चाहिए और दिल्ली नगर निगम में इन नक्शों को जमा कराने पर बिल्डिंग बोर्ड/लॉज के नियमानुसार आवेदकों को मकान बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

साथ ही, उपरोक्त अनुमति केवल उन्हीं गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों के मामलों में दी जानी चाहिए, जो निजी जमीन पर हों, जिनमें भारत सरकार के शहरी विकास विभाग के नियमानुसार बाउन्ड्री फिक्स हो गई हो और जहां 50 प्रतिशत से अधिक बिल्ड-अप एरिया हो।

उपरोक्त प्रावधान हो जाने पर, दिल्ली के गांव एवं अनधिकृत कॉलोनियों के प्लॉट मालिक निश्चित होकर बिना किसी डर व भय के अपने मकानों की मजबूत नींव रख सकेंगे और इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिल सकेगी। साथ ही, इस दिशा में भारत सरकार का उठाया गया यह कदम ऐतिहासिक, जनहितकारी एवं सराहनीय होगा और कांग्रेस-पार्टी द्वारा दिल्ली नगर निगम के चुनावी घोषणा-पत्र में किया गया वायदा भी पूरा हो सकेगा।

सादर,

श्री कमलनाथ जी,
 माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री,
 भारत सरकार, नई दिल्ली।

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
 MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
 Dy.No. 3090
 Dated 14/5/12

श्री कमलनाथ जी
 7W
 8/5/12

भवदीय
 धर्मवीर अवाना
 निगम पार्षद, मीठापुर वार्ड

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:
 उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली।

अति-आप्त (अ.वी.सी.आर.)

H.No. 181 C, Meethapur Village, Badarpur, New Delhi-110044. Mob: 9818182324

धर्मवीर अवाना 5/5/12
 निगम पार्षद (अ.वी.सी.आर.)
 16/5
 A.S.P.D.I

Commr. (Plg.) - II
 Despatch 1719
 Date 8-5-12

AC (PLG) MPPR
 Dairly No. 271
 Date 9/5/12